11

Exh. 4
17.11.2001

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक:प.2(455)राज/ग्रुप-3/90 जयपुर, दिनांक: 21.7.94

:: आदेश :-

चूँकि भूतपूर्व जयपुर रियासत द्वारा राजपूत सरदार सभा, जयपुर को हाई स्कूल भवन, बोर्डिंग हाउस एवं कार्मिकों के आवास गृह निर्माण हेतु उनके पत्र क्रमांक: 7064/रेवे दिनांक 10.10.42 द्वारा तहसील सवाई जयपुर के ग्राम बस्सी सीतारामपुरा की 41 बीघा 16 बिस्वा, ग्राम झोटवाड़ा की 12 बीघा 18 बिस्वा, ग्राम परसरामपुरा की 57 बीघा 3 बिस्वा तथा जंगलात ग्रास फार्म और शिकारखाना विभाग की 389 .04 बिस्वा कुल रकबा 501 बीघा 01 बिस्वा भूमि निशुल्क आवंटित की गई राज्य सरकार द्वारा उनके आदेश क्रमांक प.2(260)रेवे/3/80 दिनांक 30.7.82 द्वारा अनाधिवासित भूमि पुनर्ग्रहण कर ली गई।

और चूँकि राज्य सरकार द्वारा प्रसारित आदेश क्रमांक प.2(260)रेवे/3/ दिनांक 30.7.82 द्वारा आवंटित भूमि निरस्त किये जाने से पूर्व राजपूत सभा एवं श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, जयपुर को नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार पूर्ण सुनवाई हेतु अवसर दिया जाना चाहिये था। लेकिन उक्त सम संख्यक आदेश में राजपूत सभा एवं श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, जयपुर को पर्याप्त सुनवाई कर उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करते हुए आवंटित भूमि का पुनर्ग्रहण किया जाना प्रत्यक्षतः परिलक्षित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पारित उक्त भूमि पुनर्ग्रहण आदेश का मुख्य आधार श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति द्वारा कृषि उपज समिति, जयपुर की मांग पर भूमि का विक्रय किया जाना रहा जबकि जिला कलक्टर, जयपुर ने कृषि उपज मण्डी समिति को भूमि क्रय नहीं करने हेतु स्थगन आदेश दिये हुये थे। कृषि उपज मण्डी समिति/xxxx राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित स्वायत्त शासी संस्था है एवं भूमि संक्रमण में कृषि विभाग, राज्य सरकार भी सम्बद्ध पक्ष था और कृषि विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक प.10(214)कृषि/ग्रुप-2-बी/74-पार्ट दिनांक 17.10. से 76 बीघा भूमि क्रय करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। वास्तव में श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति द्वारा कोई भूमि विक्रय नहीं हुआ था। अतः ऐसी स्थिति में सम संख्यक आदेश दिनांक 30.7.82 न्यायोचित नहीं था।

और चूँकि श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति (पंजीयन सोसायटी रजिस्ट्रेशन 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत समिति) द्वारा यह अभ्यावेदन करने पर कि उसे उक्त भूमि वर्ष 1942 के प्रारम्भिक आवंटनआदेश के अनुसार शिक्षा प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने हेतु स्वीकृति दे दी जावें, राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि आवंटन उपरोक्त प्रयोजनार्थ पुनर्स्थापित करने हेतु धारा 102, राजस्थान भू-राजस्वअधिनियम, 1956 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत भूमि तादादी 506 बीघा 4 बिस्वा, जो कि जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा उक्त पुनर्ग्रहण आदेश के अनुसार कब्जे में ली गई थी, श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति को आदेश क्रमांक प.2(260)रेवे/3/80/पार्ट-2 दिनांक 25.8.84 द्वारा पुनः आवंटनकी गई एवं इसके अतिरिक्त ग्राम बीड सरकारी के खसरा नं. 11 की भूमि ता 3 बीघा एवं ग्राम झोटवाड़ा के खसरा नं. 1069 की भूमि तादादी 4 बीघा 5 बिस्वा उक्त समिति के कब्जे में समानान्तर उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग में लेने के लिये आ किया गया। लेकिन इन आवंटन आदेशों में प्रारम्भिक आवंटनआदेश के अतिरिक्त अन

---2.

प्राचार्य
श्री भवानी निकेतन स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय सीकर रोड, जयपुर

Comp. by

प्राचार्य
श्री भवानी निकेतन महिला पी.जी. महाविद्यालय सीकर रोड, जयपुर

शर्तों का समावेश किया जाने से प्रारंभिक आवंटन आदेश का पुनर्स्थापन नहीं हुआ ।

और चूंकि उक्त भूमि आवंटन से सन्तुष्ट नहीं होने के कारण राजपूत सभा जयपुर द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 1655/84 दायर कर दी गई एवं तदुपरान्त राजपूत सभा एवं श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विस्तारपूर्वक चर्चा के उपरान्त इस भूमि आवंटन के संबंध में दीर्घकाल से चली आ रही इस विवादग्रस्त स्थिति पर विचार किया गया । श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति ने इस विवाद के फलस्वरूप शिक्षा एवं शिक्षण संबंधी कार्यों, तकनीकी एवं विशिष्ट पाठ्यक्रमों के संचालन एवं नये पाठ्यक्रम शुरू करने में कठिनाई होना प्रकट किया । श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति, जयपुर एवं राजपूत सभा, जयपुर द्वारा भूतपूर्व जयपुर रियासत के भूमि आवंटन आदेश दिनांक 10.10.42 के अन्तर्गत आदिनांक उनके कब्जे में चली आ रही भूमि आवंटित किये जाने पर उच्च न्यायालय में उनके द्वारा पृथक-पृथक दायर याचिकायें वापिस लेने हेतु लिखित में दे दिया गया ।

अतः अब, एतद्द्वारा उपरोक्त शिक्षण संबंधित प्रयोजनार्थ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 102 सपठित राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक प.6(260)रेवे/3/80/11 दिनांक 25.8.84 को ~~[illegible]~~/ प्रति संहन करते हुये निम्नलिखित आदेश प्रसारित किये जाते हैं :-

1. राजपूत सभा को हाई स्कूल, बोर्डिंग हाउस एवं स्टाफ क्वार्टर हेतु 501 बीघ 01 बिस्वा भूमि का भूतपूर्व जयपुर रियासत द्वारा आवंटनआदेश दिनांक 10.10.42 का पुनर्स्थापन किया जाता है । चूंकि राजपूत सभा के स्थान पर श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति शिक्षण संस्थाओं के संचालन का कार्य कर रही थी और चूंकि अब इन शिक्षण संस्थाओं के संचालन के कार्य हेतु श्री भवानी निकेतन एज्यूकेशन एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट का गठन किया जा चुका है । अतः दिनांक 10.10.42 के भूमि आवंटन आदेश का पुनर्स्थापन श्री भवानी निकेतन एज्यूकेशन एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट के नाम पर किया जाता है। इस पर राजपूत सभा, श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति तथा श्री भवानी निकेतन एज्यूकेशन एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट सहमत है ।

   उपरोक्त भूमि के अलावा श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति के कब्जे में आदिनांक चली आ रही 54 बीघा 15 बिस्वा भूमि का आवंटन उपरोक्त शिक्षण गतिविधियों के लिये श्री भवानी निकेतन एज्यूकेशन एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट को निःशुल्क किया जाता है । इसप्रकार कुल 555 बीघा 16 बिस्वा भूमि का संलग्न परिशिष्ट के अनुसार श्री भवानी निकेतन एज्यूकेशन एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट, जयपुर को आवंटन किया जाता है ।

--- 3.

Comp. by

प्राचार्य
श्री भवानी निकेतन स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय सीकर रोड, जयपुर

प्राचार्य
श्री भवानी निकेतन महिला पी.जी. महाविद्यालय
सीकर रोड, जयपुर

13

3. उपरोक्तानुसार आवंटित भूमि का उपयोग श्री भवानी निकेतन एज्यूकेशन एण्ड चेरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा केवल शैक्षिणिक प्रयोजनार्थ ही किया जा सकेगा ।

आज्ञा से,

6/49

ह०
(अनिल कुमार चपलोत)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-

1. शासन सचिव, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ।
2. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।
3. जिला कलक्टर, जयपुर ।
4. अध्यक्ष, श्री भवानी निकेतन ~~शिक्षा समिति, जयपुर~~ एजूकेशन एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट जयपुर
5. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव.

प्राचार्य
श्री भवानी निकेतन महिला पी.जी. महाविद्यालय
सीकर रोड, जयपुर

Comp. by

प्राचार्य
श्री भवानी निकेतन स्नातकोत्तर महिला
महाविद्यालय सीकर रोड, जयपुर

प्राचार्य
श्री भवानी निकेतन महिला पी.जी. महाविद्यालय
सीकर रोड, जयपुर

14

परिशिष्ट

एज्यूकेशन एण्ड चेरीटेबल ट्रस्ट
श्री भवानी निकेतन ~~शिक्षा समिति~~, जयपुर को आवंटित की गई भूमि का विवरण ।

क्रम सं.	नाम ग्राम	तहसील व जिला	खसरा संख्या	एकड़ा.	
1.	बीड़ सरकारी	जयपुर	7	73 बीघा	4 बिस्वा
			8	140 बीघा	16 बिस्वा
			9	62 बीघा	12 बिस्वा
			10	67 बीघा	14 बिस्वा
			11	3 बीघा	–
			12	–	8 बिस्वा
			13	3 बीघा	12 बिस्वा
			14	41 बीघा	18 बिस्वा
			15	19 बीघा	–
			योग:-	412 बीघा	4 बिस्वा
2.	झोटवाड़ा	जयपुर	1068	34 बीघा	7 बिस्वा
			1069	4 बीघा	5 बिस्वा
			योग:-	38 बीघा	12 बिस्वा
3.	परसरामपुरा	जयपुर	1	21 बीघा	2 बिस्वा
			2	10 बीघा	11 बिस्वा
			2/54	–	5 बिस्वा
			3	12 बीघा	2 बिस्वा
			4	14 बीघा	10 बिस्वा
			5	1 बीघा	6 बिस्वा
			6	3 बीघा	10 बिस्वा
			योग :-	63 बीघा	6 बिस्वा
4.	हस्ती सांगारामपुरा	जयपुर	1/2	41 बीघा	14 बिस्वा
			योग :-	41 बीघा	14 बिस्वा
			महायोग :-	555 बीघा	16 बिस्वा

प्राचार्य
श्री भवानी निकेतन स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय सीकर रोड, जयपुर

Comp. by

प्राचार्य
श्री भवानी निकेतन महिला पी.जी. महाविद्यालय सीकर रोड, जयपुर